जिले सिंह

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य

7 अक्टूबर, 2004

[आर. सी. लाहोटी, सीजे, जी. पी. माथुर और पी. के. बालासुब्रमण्यन, जे. जे.]

हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973: धारा 13क (1) (ग) (हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या 3) द्वारा अतः स्थापित और हरियाणा नगरपालिका (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं.15)-द्वारा संसोधित नगरपालिका का सदस्य होने के लिए अयोग्यता-दो से अधिक बच्चे होने पर-हालांकि, इस प्रभाव का प्रावधान है कि 05.04.1994 अधिनियम के प्रारंभ के एक वर्ष की समाप्ति पर या उसके बाद दो से अधिक बच्चे रखने वाले व्यक्ति अयोग्य नहीं हैं-4.10.1994 पर दूसरे संशोधन द्वारा शब्द 'बाद' के लिए शब्द 'तक' का प्रतिस्थापन-संशोधन की प्रकृति-आयोजितः दूसरा संशोधन प्रथम संशोधन के प्रारंभ की तारीख से प्रथम संशोधन के पाठ को बदल देता है-5.4.1994-यह प्रकृति में घोषणात्मक है और हालांकि स्पष्ट रूप से पूर्वव्यापी नही है, पर पूर्वव्यापी रूप से काम करेगा।

क़ानूनों की व्याख्याः निर्माण के सिद्धांत-पूर्वप्रभावी संचालन- सामान्य नियम - आयोजितः यह एक प्रमूख सिधांत है कि हरएक कानून प्रथम दृष्टया भविष्यदपेक्षक होता है जब तक उसे स्पष्ट या निहित रूप से पूर्वप्रभावी नही बनाया जाता। हालांकि, नियम लागू होता है जहां क़ानून का उद्देश्य निहित अधिकारों को प्रभावित करना या नया बोझ डालना या मौजूदा दायित्व को बाधित करना है। इसके अलावा, पूर्वव्यापीता के खिलाफ धारणा व्याख्यात्मक और घोषणात्मक कानूनों पर लागू नहीं होती है।

संविधि कानूनः विधायी प्रारूपण-एक पाठ के स्थान पर दूसरे पूर्व-विद्यमान पाठ का प्रतिस्थापन-आयोजितः पहले के प्रावधान को निरस्त करने के परिणामस्वरूप और नए प्रावधान द्वारा उसको प्रतिस्थापन।

हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या 3) द्वारा हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 में अतः स्थापित की गई।

धारा 13ए (1) (सी) में दो से अधिक जीवित बच्चे होने पर नगरपालिका के सदस्य का पद धारण करने के लिए अयोग्यता 5.4.1994 से प्रभावित। हालाँकि, परंतुक के तहत 5.4.1994 से एक वर्ष की समाप्ति पर या उसके बाद दो से अधिक बच्चे रखने वाले व्यक्ति को अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। अर्थहीनता को ध्यान में रखते हुए, हरियाणा नगरपालिका (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या 15) 4.10.1994 पर पारित किया गया था और शब्द 'के बाद' के लिए शब्द ‘तक’ को प्रतिस्थापित किया गया।

अपीलार्थी नगरपालिका के सदस्य का पद धारण कर रहा था। पहली शादी से उनके तीन बच्चे थे और दूसरी शादी से उनका दूसरा बच्चा 13-08-1995 को पैदा हुआ- पहला संशोधन शुरू होने के एक वर्ष पश्चात अधिनियम की धारा 13 क (1) (ग) के तहत अयोग्य ठहराये जाने के कारण अपीलकर्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज की गयी थी। सक्षम प्राधिकारी और उच्च न्यायालय दोनो द्वारा अभिनिर्धारित किया कि अपीलकर्ता को अयोग्य ठहराया गया था। इसलिए वर्तमान अपील।

अपीलार्थी ने तर्क दिया कि सुनील कुमार राणा के मामले में इस न्यायालय की दो न्यायाधीशो की पीठ का विचार की विधायी मंशा थी कि परंतुक के तहत एक वर्ष की अवधि को परिवर्तित इस अधिनियम की शुरूआत - 05-04-1994 से है ना कि 04-10-1994 से, जिसमें महज 'बाद' शब्द को ‘तक’ शब्द से प्रतिस्थापित, करना सही नहीं

था और इसलिए इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है और इसे खारिज करने की आवश्यकता है।

याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया

1.1. यह निर्माण का एक प्रमुख सिद्धांत है कि प्रत्येक कानून प्रथम दृष्टया संभावित होता है जब तक की यह स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा पूर्वव्यापी संचालन के लिए ना बनाया हो। लेकिन सामान्य तौर पर नियम वहां लागू होता है जहाँ क़ानून का उद्देश्य अधिकारो को प्रभावित करना या नया बोझ डालना या मौजूदा दायित्वों को कम करना है। जब तक कानून में मौजूदा अधिकारो को प्रभावित करने के लिए, विधानमंडल के इरादे को दिखाने के लिए कानून में पर्याप्त शब्द नही हैं तब तक इसे केवल संभावित माना जाता है नोवा कॉन्स्टियूटियो फ्यूचरिस फॉर्मम इम्पोनेरे डेबेट नॉन प्रेटेराइटिस' - एक नए कानून को यह विनियमित करना चाहिए कि क्या पालन करना है, ना कि अतीत। [280 - सी]

1.2. जब पूर्व कानून में स्पष्ट चूक की आपूर्ति या पूर्व कानून को स्पष्ट करने के लिए कानून पारित किया जाता है, वहां बाद के क़ानून का संबंध उस समय से होता है जब पूर्व अधिनियम पारित किया गया था। पूर्वव्यापीता के खिलाफ धारणा व्याख्यात्मक और घोषणात्मक कानूनों पर लागू नहीं होती है। [281 - सी]

1.3. प्रासंगिक कारक, इसे पूर्वव्यापिता देने में विधायी इरादे का पता लगाने के लिए इस प्रकार हैः (i) कानून का सामान्य दायरा और कार्यक्षेत्र; (ii) जिस उपाय को लागू करने की मांग की गई है (iii) कानून की पूर्व स्थिति; और (iv) विधायिका ने जिस पर विचार किया था। पूर्वव्यापीता के खिलाफ नियम निरसन के प्रभाव से रक्षा करने के लिए विस्तारित नहीं, एक विशेषाधिकार जो अर्जित अधिकार के बराबर नहीं था। [281 - बी]

1.4. कानून को स्पष्ट रूप से पूर्वव्यापी संचालन देने वाले प्रावधान की अनुपस्थिति इसकी संभावना या पूर्वव्यापीता का निर्धारण नहीं करती है। आंतरिक साक्ष्य यह दिखाने के लिए उपलब्ध हो सकते हैं कि संशोधन का उद्देश्य अनिवार्य रूप से पूर्वव्यापी प्रभाव रखना था और यदि न्यायालय बिना किसी हिचकिचाहट के पूर्वव्यापीता के पक्ष में निष्कर्ष निकाल सकता है, तो न्यायालय अधिनियम को वह संचालन देने में तब तक संकोच नहीं करेगा जब तक कि कानून में निहित किसी भी जनादेश या कानूनों की व्याख्या के एक स्थापित सिद्धांत द्वारा ऐसा करने से रोका न जाए। [283 - एच; 284-ए]

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य [2003] 5 एस. सी. सी. 23; श्याम सुंदर और अन्य बनाम राम कुमार और अन्य, [2001] 8 एससीसी 24; द बंगाल इम्युनिटी कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य और अन्य, [1955] 2 एससीआर 603 और एलाइड मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त, दिल्ली [1997] 3 एससीसी 472, संदर्भित किया गया।

महान्यायवादी बनाम पाउगेट, (1816) 2 मूल्य 381, संदर्भित।

क्रेज़ द्वारा क़ानून, सातवां संस्करण; मैक्सवेल बारहवें संस्करण द्वारा क़ानूनों की व्याख्या, संदर्भित।

न्यायमूर्ति जी. पी. सिंह द्वारा वैधानिक व्याख्या के सिद्धांत, नौवां संस्करण, 2004, पर निर्भर था।

1.5. एक पाठ के स्थान पर दूसरे पूर्व विद्यमान पाठ का प्रतिस्थापन विधायी प्रारूपण की विधित और मान्यताप्राप्त प्रथाये है। किसी प्रावधान के प्रतिस्थापन के परिणामस्वरूप पिछला प्रावधान निरस्त हो जाता है और उसके स्थान पर नया प्रावधान

आ जाता है। इसके अलावा 'प्रतिस्थापन' को 'अधिक्रमण' या मौजूदा प्रावधान के मात्र निरसन से अलग करना होगा। [284 - सी]

पश्चिम यू. पी. शुगर मिल्स एसोसिएशन और अन्य बनाम यू. पी. राज्य और अन्य, [2002] 2 एस. सी. सी. 645, राजस्थान राज्य बनाम मंगिलाल पिंडवाल, [1996] 5 एस. सी. सी. 60, कोटेश्वर विट्टल कामथ बनाम के. रंगप्पा बालिगा एंड कंपनी, [1969] 1 एससीसी 255 और ए.एल.वी.आर.एस.टी. वीरप्पा चेट्टियार बनाम एस. माइकल और अन्य, ए. आई. आर. (1963) एस. सी. 933, संदर्भित।

2.1 5.4.1994 से प्रभावी हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 13ए की उप-धारा (क) के खंड (ग) में नगरपालिका के सदस्य का कार्यालय संभालने के लिए अयोग्यता के माध्यम से बनाया गया प्रतिबंध निरपेक्ष था। केवल इसलिए कि अयोग्यता कुछ तथ्यों के हवाले से लागू जो अयोग्यता के अधिनियम से पहले की तारीख के लिए संदर्भित है, उक्त अधिनियम पूर्वव्यापी नही हो जाता। कोई निहित अधिकार नही खोया गया। पहला संशोधन विधान का ऐसा टूकडा नही था जिसमें पूर्वव्यापीता थी। [285 - ए]

2.2. अधिनियम की धारा 13ए (1) (ग) के परंतुक में त्रुटि बताता है। यहां तक की अगर कोई दूसरा संशोधन नहीं होता, तो उसकी व्याख्या इस तरह भी परंतुक जैसा कि यह मूल रूप से खड़ा था, अगर न्यायिक जांच के अधीन होता, तो इसकी व्याख्या इस तरह की जाती और 'बाद' शब्द को 'तक' के रूप में पढ़ा जाता या ऐसे अर्थ को सौंपा जाता ताकि विधायी इरादे को पूरा किया जा सके और मसौदा तैयार करने वाले की मूर्खता से पूंजी ना बनाई जा सके। या, परंतुक-यदि पढ़ा नहीं जाता-को अमान्य घोषित कर दिया जाता और मनमाना और भेदभावपूर्ण होने के कारण खारिज कर दिया जाता क्योंकि अधिनियम के अधिनियमन की तारीख को और उसके बाद एक वर्ष के

भीतर दो से अधिक जीवित बच्चे पैदा करने वाले व्यक्ति और एक वर्ष की तारीख के बाद दो से अधिक जीवित बच्चे पैदा करने वाले व्यक्ति एक अच्छी तरह से परिभाषित मानदंड पर अलग होने में सक्षम दो वर्गों का गठन नहीं कर सकते थे ताकि विधायिका द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य को पूरा किया जा सके। हालाँकि, विधायिका अपने मसौदा तैयार करने वाले की गलती को महसूस करके बुद्धिमान हो गई और गलत शब्द 'बाद ' को सही शब्द 'तक' से बदल दिया जो शुरू से ही होना चाहिए था। [285 - बी-सी-डी-ई]

2.3. दूसरा संशोधन प्रकृति में घोषणात्मक है। यह प्रथम संशोधन का पाठ इस तरह से बदलता है जिससे उसमें से स्पष्ट बेतुकेपन को दूर किया जा सके और इसे विधानमंडल द्वारा वास्तव में प्रदान करने के इरादे के अनुरूप लाया जा सके। यह स्पष्ट त्रुटि को समझाता है और दूर करता है और स्पष्ट करता है कि कानून हमेशा से क्या था और क्या रहेगा। हालांकि यह स्पष्ट रूप से संशोधन का पूर्वव्यापी संचालन नही करता, यह प्रथम संशोधन की तारीख से पूर्व प्रभावी रूप से प्रचालित होगा और उक्त प्रचालन में किसी भी कानून का अधिधेश और सिद्घांत का उल्लघंन नही होगा। अन्यथा, जिस बुराई पर अंकुश लगाने की मांग की गई थी, वह कुछ समय के लिए विधायी इरादे के विपरीत बनी हुई है। पूर्वव्यापीता के खिलाफ नियम का अनुप्रयोग खड़ा है दूसरा संशोधन अधिनियम को छोड़कर। [285 - एफ, जी]

2.4. यह राष्ट्रीय हित में था कि हतोत्साहित कर कानून के माध्यम से जनसंख्या वृद्धि की जांच की जाए। प्रथम संशोधन अधिनियम बुराई को लक्षित करता है और इसे ठीक करने का प्रयास करता है। राज्य की विधायी क्षमता विवादित नहीं है। इस प्रकार कानून के सामान्य दायरे और परिधि को ध्यान में रखते हुए जिसे लागू करने का उपाय, कनून की पूर्व स्थिति, विधायी आशय और अभिव्यक्ति का प्रयोग- दूसरे संशोधन के पाठ में "शब्द 'के बाद' शब्द 'तक' के लिए प्रतिस्थापित किया

जाएगा", इसमें कोई संदेह नहीं है कि दूसरा संशोधन पहली संशोधन के पाठ में संशोधन करने का प्रभाव प्रथम संशोधन का प्रारंभ, अर्थात 5 अप्रैल, 1994 से रखता है। [286 - ए, बी]

जावेद और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य , [2003] 8 एससीसी 369, पर निर्भर और प्रतिष्ठित।

3. स्वतंत्र रूप से उठाई गई दलीलों की जांच करने पर सुनील कुमार राणा के मामले में तर्क देते हुए, यह माना जाता है कि सुनील कुमार राणा के मामले में सही निर्णय लिया गया है और इसमें किसी भी पुनर्विचार की आवश्यकता नहीं है [286 - सी]

सुनील कुमार राणा बनाम हरियाणा राज्य अन्य, [2003] 2 एससीसी 628, पुष्टि की।

सिविल अपीलीय न्याय निर्णयः सिविल अपील सं. 6638/2004

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के सिविल अपील संख्या 18864/2003 में दिनांक 05-12-2003 को निर्णय और आदेश से।

अपीलार्थी की ओर से ज्ञान सिंह, एस. एम. हुड्डा और श्रीमती संतोष सिंह।

उत्तरदाता की ओर से नीरज कुमार जैन, उग्र शंकर पं.,और सुश्री कविता वाडिया।

न्यायालय का निर्णय आर. सी. लाहोटी, सीजे द्वारा दिया गया।

अनुमति दी गई।

हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (इसके बाद, संक्षेप में मूल अधिनियम) एक राज्य अधिनियम है जो नगरपालिकाओं के माध्यम से स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। उक्त अधिनियम का अध्याय 111 नगरपालिकाएं की संरचना से सबधित

है। हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या 3) ने प्रधान अधिनियम के अध्याय 3 में धारा 13ए को जोड़ा, जिसका प्रावधान इस प्रकार हैः

"13ए. सदस्यता के लिए अयोग्यता। (1) एक व्यक्ति को नगरपालिका के सदस्य के रूप चुने जाने और होने के अयोग्य ठहराया जायेगा-

XXX XXX XXX

(ग) यदि उसके दो से अधिक जीवित बच्चे हैंः

बशर्ते कि एक व्यक्ति जिसके दो या दो से अधिक बच्चे हैं इस अधिनियम के प्रारंभ के एक वर्ष की समाप्ति, अयोग्य नही माना जाएगा।

XXX XXX XXX"

संशोधन अधिनियम को 1 अप्रैल, 1994 को हरियाणा के राज्यपाल की मंजूरी मिल गई, जिसे दिनांक 5 अप्रैल, 1994 को हरियाणा राजपत्र (असाधारण), विधायी पूरक, भाग I, में प्रकाशित किया गया और उस तिथि को संशोधन अधिनियम लागू हुआ। संशोधन में 5-4-1994 से किसी व्यक्ति को नगरपालिका का सदस्य होने के लिए या तो चुनाव द्वारा या पद पर बने रहने के लिए, भले ही वह संशोधन अधिनियम के लागू होने की तारीख से पहले चुना गया हो, की अयोग्यता को दिनांक 5.4.1994 से प्रभावी होने का उल्लेख किया गया है। खंड (ग) में निहित मूल प्रावधान स्पष्ट और विशिष्ट है जिसमें अयोग्यता की व्याख्या की गई है। हालांकि, खंड (सी) में सलंग्न परंतुक अपने दोषपूर्ण प्रारूपण के कारण समस्या पैदा करने वाला साबित हुआ। बेतुकेपन पर असंगत परिणाम को परंतुक से हटाया गया। जबकि किसी व्यक्ति के दिनांक 5-4-1994 को दो जीवित संतान होने से उक्त व्यक्ति दिनांक 5-4-1994 को नगरपालिका का सदस्य होने से अयोग्य घोषित किया गया और अयोग्यता का संचालन

दिनांक 5-4-1994 से एक वर्ष तक जारी रही फिर भी एक वर्ष की अवधि समाप्त होने पर अयोग्यता का संचालन बंद हो गया। इसका अर्थ यह हुआ कि किसी व्यक्ति पर नगरपालिका के सदस्य का पद धारण करने के संदर्भ में तीसरे बच्चे को जन्म देने और जन्म देने पर लगाया गया विधायी प्रतिबंध केवल एक वर्ष की अवधि के लिए लागू रहा और उसके बाद इसे हटा लिया गया। यहां तक कि जो लोग 5.4.1994 पर अयोग्य हो गए, उनकी अयोग्यता का संचालन दिनांक 5-4-1994 से एक वर्ष की समाप्ति पर बंद हो गया और वे एक बार फिर चुनाव लड़ने और नगरपालिका के सदस्य का पद संभालने के लिए योग्य हो गए। जाहिर है, विधानमंडल का इरादा ऐसा नहीं था।

राज्य विधानमंडल को इस त्रुटि को समझने में छह महीने से अधिक का समय लगा। हरियाणा नगरपालिका (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या15) विधानमंडल द्वारा अधिनियमित किया गया था, जिसे 3 अक्टूबर, 1994 को हरियाणा के राज्यपाल की सहमति मिली थी, जिसे 4 अक्टूबर, 1994 को हरियाणा राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित किया गया था। द्वितीय संशोधन की धारा 2 निम्नानुसार हैः

"2. धारा 13क की उप-धारा (1) के खंड (ग) के परंतुक में हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (इसके बाद इसे मूल अधिनियम कहा जाएगा), "बाद" शब्द के स्थान पर "तक" शब्द रखा जाएगा।''

दूसरा संशोधन धारा 13ए के प्रासंगिक भाग के पाठ को विधायी इरादे के अनुरूप लाया गया जो पूर्ववर्ती संशोधन, अर्थात प्रथम संशोधन के पीछे प्रबल रहा।

अपीलार्थी ज़िले सिंह की शादी अप्रैल 1970 में एक ओमपति नाम की महिला से हुई थी। अप्रैल 1991 में ओम पति की मृत्यु के समय दंपति के तीन जीवित बच्चे थे। अपीलार्थी ने तब 20.7.1991 पर एक सुनीता से शादी की। बाद की शादी से, अपीलार्थी

के दो बच्चे हुए, एक बेटी, पूजा का जन्म अप्रैल 1992 में हुआ और एक बेटा गौरव का जन्म 13.8.1995 पर हुआ। अपीलार्थी नगरपालिका के सदस्य का पद धारण कर रहा था। नाफे सिंह नामक एक व्यक्ति ने अपीलार्थी के खिलाफ राज्य सरकार के ध्यान में लाते हुए शिकायत दर्ज कराई कि 5 अप्रैल, 1995 के बाद पैदा हुए बच्चे पर, यानी प्रथम संशोधन अधिनियम के शुरू होने के एक साल बाद, अपीलार्थी नगरपालिका के सदस्य से अयोग्य हो गया। मूल अधिनियम की धारा 14 की उप-धारा (1) का खंड (च) राज्य सरकार को किसी समिति के किसी सदस्य को अधिसूचना के तहत हटाने की शक्ति प्रदान करता है यदि उसका चुनाव या नामांकन किसी अयोग्यता के अधीन हो गया है, जो यदि उसके चुनाव या नामांकन के समय मौजूद था, तो चुनाव या नामांकन के लिए उम्मीदवारों की योग्यताएं से संबंधित लागू कानून के तहत अयोग्य घोषित कर देता है या यदि यह प्रतीत होता है कि वह अपने चुनाव या नामांकन के समय ऐसी किसी अयोग्यता के अधीन था। 13.8.1995 पर गौरव के जन्म का तथ्य विवादित नहीं है, हालांकि अपीलार्थी ने तर्क दिया कि गौरव को 10.9.1995 को गोद दे दिया गया था। राज्य चुनाव आयोग, हरियाणा, जो सक्षम प्राधिकारी है, ने अपीलार्थी को धारा 13क (1) (ग) के अर्थ के भीतर अयोग्य पाया। अयोग्यता को अधिसूचित किया गया था।

पीड़ित महसूस करते हुए अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की जिसे खारिज कर दिया गया। यह विशेष अनुमति द्वारा एक अपील है।

शुरुआत में ही हम यह बता देते हैं कि दूसरे संशोधन द्वारा संशोधित पाठ के संचालन में पूर्वव्यापीता इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ के विचार के लिए सुनील कुमार राणा बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, [2003] 2 एससीसी 628 मामले में आयी थी। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि परंतुक के तहत एक वर्ष की अवधि की गणना करने का विधायी इरादा "इस अधिनियम के प्रारंभ" से है, जिसका

अर्थ है कि 1994 के हरियाणा अधिनियम 3 के लागू होने की तारीख से आैर ना कि 1994 के हरियाणा अधिनियम 15 से, जिसने केवल "बाद" शब्द को "तक" शब्द से प्रतिस्थापित किया था। प्रतिस्थापन का परिणाम प्रतिस्थापन के लिए आदेशित शब्द द्वारा संशोधित प्रावधान को पढ़ना था।

आदेशितः- ''ऐसा प्रतीत होता है कि विधायिका द्वारा विसगंतियों और बेतूकी बातो के बारे में जागरूक होने पर प्रतिस्थापन की आवश्यकता को महसूस किया जो प्रावधान इस तरह के प्रतिस्थापन के बिना, कभी-कभी, मुख्य प्रावधान के साथ प्रतिकूलता का परिणाम और विधायिका के इरादों को वस्तुतः विफल करता है। प्रावधान में परिवर्तन जो प्रतिस्थापन आदेश द्वारा किया गया, विधायी मंशा को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जब आवश्यक और अनिवार्य पाया गया और सामाजिक कुप्रथा को रोकने के लिए जिसके विरूद्घ प्रावधान निर्देशित है, एक उददेश्यपूर्ण निर्माण आवश्यक है और वह एकमात्र अपरिहार्य समाधान है। नगरपालिका के सदस्य के पद के लिए चुनाव लडने का अधिकार यह कानून का सृजन है और संवैधानिक और मौलिक अधिकार नही है।

हमारे समक्ष निर्णय के लिए रखे गये मुददो को उपर्युक्त निर्णयों द्वारा पूरी तरह से कवर किये जाने के बावजूद, अपीलकर्ता के विद्वान वकील संतुष्ट महसूस नही करते है। अपने विनम्र निवेदन में सुनील कुमार राणा का मामला जो कि दो न्यायधीशों की बैंच का निर्णय है, को सही ढंग से तय नही किया जाना जाहिर कर उक्त निर्णय को पुर्नविचार और उसके पश्चात उसे निष्प्रभाव करने की आवश्यकता स्पष्ट की। इस प्रकार प्रस्तुत किये गये और दबाये गये निवेदन के मध्येनजर, हम सुनील कुमार राणा के मामले (सुप्रा) में स्वतंत्र रूप से हमारे सामने उठायी गयी दलीलों की जांच करने और उनसे निपटने के लिए आगे बढ रहे है।

विधायी रूप से '' दो बच्चों के मानदण्ड'' की संवेधानिक वैद्यता, ओर उसके विचलन के परिणामस्वरूप एक निर्वाचित कार्यालय रखने के लिए अयोग्यता की प्रयोज्यता को आकर्षित किया गया है, इस न्यायालय द्वारा जावेद एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य [2003] 8 एससीसी 369 में कई आधारों पर स्थापित सभी संभावित आपत्तियों को निरस्त करते हुए सविंधान के दायरे के भीतर रखा गया है। इस अदालत ने यह भी माना है कि अयोग्यता तब लागू नहीं होती है जब तक तीसरा बच्चा पैदा नही होता है और दो जीवित बच्चों के बाद रह रहा है और केवल इसलिए कि दंपति ने एक बच्चे को गोद में देकर अलग कर दिया है, अयोग्यता समाप्त नहीं होती है। हालांकि, वर्तमान मामले में एक अलग मुद्दा खडा करता है।

अपीलार्थी के अनुसार, पहला संशोधन की धारा 13 क (1) (ग) द्वारा लगाई गयी अयोग्यता केवल एक वर्ष की अवधि के लिए लागू रही और सामान्य तौर पर 05-04-1994 से एक वर्ष की अवधि की समाप्ति पर लागू नही होगी। नागरिकों को कानून के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए अपने परिवारों के विस्तार सहित अपने मामलों की व्यवस्था करने में उचित ठहराया गया था। हालांकि, 14-10-1994 से प्रभावी दूसरे संसोधन अधिनियम ने एक अंतर बना दिया। उस दिन, विधानमंडल द्वारा विशेष रूप से प्रावधान किया कि एक वर्ष की समाप्ति पर या उसके बाद दो से अधिक बच्चे रखने वाला व्यक्ति अयोग्य माना जायेगा।

अपीलार्थी के कथन के अनुसार एक वर्ष की अवधि की गणना 04-10-1994 से की जानी चाहिए ना कि 05-04-1994 से और यदि एेसा किया जाता है तो 13-08-1995 को बच्चे का जन्म अयोग्यता को आकर्षित नही करेगा।

अपीलकर्ता की यह याचिका कुछ दिलचस्प सवाल उठाती है जैसे, संसोधन की प्रकृत्ति, अर्थात क्या यह पूरी तरह से पूर्वव्यापी है और यदि नही, तो क्या दूसरे संसोधन द्वारा संशोधित प्रावधान अपीलार्थी पर लागू होता है।

यह निमार्ण का एक प्रमुख सिद्धांत है कि प्रत्येक कानून प्रथम दृष्टया संभावित होता है जब तक कि यह स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा पूर्वव्यापी संचालन के लिए ना बनाया गया हो। लेकिन सामान्य तौर पर नियम वहा लागू होता है जंहा कानून का उददेश्य निहित अधिकारों को प्रभावित करना या नये बोझ थोंपना या मौजूदा दायित्वों को खराब करना है। जब तक कानून में मौजदा अधिकारों को प्रभावित करने के लिए विधायिका के ईरादें को दिखानें के लिए प्र्याप्त शब्द नही है, तब तक इसे केवल संभावित माना जाता है, 'नोवा कांस्टीट्यूशियो फ्यूचरिस फॉर्मम इम्पोनेरे डिबेट नॉन प्रेटेरिटिस' -एक नए कानून को विनियमित करना चाहिए कि आगे क्या होना है, ना कि अतीत को। (न्यायमूर्ति जी. पी. सिंह द्वारा वैधानिक व्याख्या के सिद्धांत, नौवां संस्करण, 2004 पृष्ठ 438 में देखें) यह आवश्यक नहीं है कि किसी क़ानून को पूर्वव्यापी बनाने के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान किया जाए और पूर्वव्यापीता के खिलाफ धारणा को आवश्यक निहितार्थ द्वारा खंडित किया जा सकता है, विशेष रूप से ऐसे मामले में जहां नया कानून समग्र रूप से समुदाय के लाभ के लिए एक स्वीकृत बुराई को ठीक करने के लिए बनाया गया है। (आई. बी. आई. डी., पेज.440)

पूर्वव्यापी कार्यवाही के खिलाफ धारणा घोषणात्मक कानूनों पर लागू नहीं होती है, इसलिए, अधिनियम की प्रकृति का निर्धारण करते समय, अधिनियम की प्रकृत्ति के बजाय सार को ध्यान में रखा जाना चाहिए। यदि कोई नया अधिनियम किसी पूर्ववर्ती अधिनियम की 'व्याख्या' करने के लिए है, तो यह तब तक उद्देश्यहीन होगा जब तक कि इसका पूर्वव्यापी अर्थ ना लगाया जाए। एक व्याख्यात्मक अधिनियम आम तौर पर एक स्पष्ट चूक प्रदान करने या पिछले अधिनियम के अर्थ के बारे में संदेह को दूर

करने के लिए पारित किया जाता है। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि यदि कोई क़ानून उपचारात्मक है या केवल पिछले कानून की घोषणात्मक है, तो आम तौर पर पूर्वव्यापी कार्रवाई का इरादा होता है। एक संशोधन अधिनियम मूल अधिनियम के प्रावधान का अर्थ स्पष्ट करने के लिए विशुद्ध रूप से घोषणात्मक हो सकता है जो पहले से ही निहित था। इस प्रकृति के एक स्पष्टीकरणात्मक संशोधन का पूर्वव्यापी प्रभाव होगा। (आई. बी. आई. डी., पेज. 468-469)

हालांकि क्रेज़ (संविधि, सातवां सस्करण) के अनुसार, पूर्वव्यापीता का अनुमान नही लगाया जाना चाहिए और बल्कि पूर्वव्यापीता के खिलाफ धारणा है, परंतु विधायिका पूर्वव्यापी संचालन वाले कानूनों को लागू कर सकता है। यह स्पष्ट अधिनियमन या नियोजित भाषा से आवश्यक निहितार्थ द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। यदि भाषा से यह एक आवश्यक निहितार्थ है कि विधायिका का ईरादा है कि किसी विशेष खंड को पूर्वव्यापी कार्यवाही दी जाये अदालतें उसे ऐसी कार्यवाही देंगी। पूर्वव्यापी कार्रवाई स्पष्ट रूप से दिए जाने के अभाव में, न्यायालयों से प्रावधानों का अर्थ निकालने और इस सवाल का जवाब देने के लिए कहा जा सकता है कि क्या विधायिका ने क़ानूनों को पूर्वव्यापी देते हुए उस इरादे को पर्याप्त रूप से व्यक्त किया था। चार कारकों को प्रासंगिक के रूप में सुझाए गए हैंः ((i) कानून का सामान्य दायरा और कार्यक्षेत्र; (ii) जिस उपाय को लागू करने की मांग की गई है; (iii) कानून की पूर्व स्थिति; और (iv) विधायिका ने क्या विचार किया था (पेज.388) पूर्वप्रभावीता के खिलाफ नियम निरसन के प्रभाव से बचाने के लिए विस्तारित नहीं है, एक विशेषाधिकार जो अर्जित अधिकार के बराबर नहीं था(पेज.392)

जहाँ किसी कानून को किसी पूर्व कानून में स्पष्ट चूक की आपूर्ति करने या पूर्व कानून की 'व्याख्या' करने के उददेशय से पारित किया जाता है, वंहा बाद के कानून का संबंध उस समय से हेाता है जब पूर्व अधिनियम पारित किया गया था। पूर्वव्यापीता के

खिलाफ नियम ऐसे विधानों पर लागू नहीं होता है जो प्रकृति में व्याख्यात्मक और घोषणात्मक हैं। जनरल बनाम पाउगेट, (1816) 2 कीमत 381, 392. का मामला इसका उत्कर्ष्ट उद्घारण है। सीमा शुल्क अधिनियम(1873) 53 जी. ओ. 3 , ग 33 द्वारा 9 एस 4 घ की खाल पर शुल्क लगाया गया था, लेकिन अधिनियम ने यह कहना छोड़ दिया कि यह 9s 4 डी. प्रति सी. डब्ल्यू. टी. पारित होना था, और इस चूक को सुधारने के लिए उसी वर्ष बाद में एक और सीमा शुल्क अधिनियम (53 जीईओ 3, सी 105) पारित किया गया था। इन दोनों अधिनियमों के पारित होने के बीच कुछ खालें निर्यात की गई, और यह तर्क दिया गया था कि वे 9s 4 डी प्रति सी. डब्ल्यू. टी. के शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं थे, लेकिन थॉमसन सी. बी. ने महान्यायवादी के लिए निर्णय देते हुए कहाः " इस मामले में शुल्क वास्तव में पहले अधिनियम द्वारा लगाया गया था, लेकिन उस भार की मात्र जिसके लिए व्यक्त राशि थी जिसकी चूक की घोर गलती से बाद के अधिनियम द्वारा किए गये संशोधन की आवश्यकता हुई, लेकिन जैसे ही वह पारित हुआ, उसमें पूर्व कानून संदर्भ था, और उन्हें एक साथ लिया जाना चाहिए जैसे कि वे एक ही अधिनियम थे। ” (पेज.395)।

मैक्सवेल ने क़ानूनों की व्याख्या, (बारहवाँ संस्करण) पर अपने काम में कहा है, कि पूर्वव्यापी संचालन के खिलाफ नियम केवल एक धारणा है, और इस तरह इसे "न केवल अधिनियम में व्यक्त शब्दों से, बल्कि इसे विस्थापित करने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत परिस्थितियों से भी दूर किया जा सकता है।" (पेज.225)। यदि विधायिका के प्रमुख इरादे को स्पष्ट और निस्संदेह स्पष्ट किया जा सकता है, तो स्थायीता के खिलाफ नियम में निहित निषेध प्रयोज्यता बन जाता है, क्योकि "नियम के निषेध" डिग्री को मामला है जो ‘’अलग-अलग सेकण्डम मैटेरियम होगा "(पेज.226)। कभी-कभी, जहां क़ानून की भावना इसकी मांग करती है या जहां प्रारूप तैयार करने में स्पष्ट

गलती हुई है, अदालत उस शब्द या किसी वाक्यांश को प्रतिस्थापित करने के लिए तैयार किया जाएगा जो वास्तव में अधिनियम के पाठ में दिखाई देता है (पेज.231)।

इस न्यायालय के हाल के एक फैसले में राष्ट्रीय कृषि सहकारी समिति मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, [2003] 5 एस. सी. सी. 23 के फैसले में, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि वह किसी अधिनियम को पूर्वव्यापीता देने के लिए विधायी इरादे की अभिव्यक्ति के लिए कोई निश्चित सूत्र नहीं है। प्रत्येक विधान, चाहे वह संभावित हो या पूर्वव्यापी, विधायी क्षमता के प्रश्न के अधीन होना चाहिए। पूर्वव्यापीता का निर्णय कुछ कसौटी पर किया जाना चाहिये जैसे किः (i) उपयोग किए गए शब्दों को स्पष्ट रूप से पूर्वव्यापी संचालन प्रदान करना चाहिए या स्पष्ट रूप से पूर्वव्यापी संचालन का संकेत देना चाहिए; (ii) पूर्वव्यापीता उचित होनी चाहिए और अत्यधिक या कठोर नहीं होनी चाहिए, अन्यथा यह असंवैधानिक के रूप में खारिज होने का जोखिम उठाती है; (iii) जहां न्यायिक निर्णय को दूर करने के लिए कानून पेश किया जाता है, वहां निर्णय के वैधानिक आधार को हटाए बिना निर्णय को नष्ट करने के लिए शक्ति का उपयोग नहीं किया जा सकता है। किसी अधिनियम को पूर्वव्यापीता देने के लिए विधायी इरादे की अभिव्यक्ति के लिए कोई निश्चित सूत्र नहीं है। एक मूल वैधानिक परिवर्तन के साथ युगमित एक मान्य खंड, असंसोधित कानून के तहत अस्थिर कार्यों को अबाधित छोडने के तरीकों में से एक है। नतीजतन, एक मान्य खंड की अनुपस्थिति अपने आप में वैधानिक प्रावधान के पूर्वव्यापी संचालन को प्रभावित नहीं करेगी, यदि ऐसी पूर्वव्यापीता अन्यथा स्पष्ट है।

श्याम सुंदर और अन्य बनाम राम कुमार और अन्य [2001] 8 एस. सी. सी. 24 में संवैधानिक पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि-"आम तौर पर जब कोई अधिनियम पिछले कानून की घोषणा करता है, तो उसे पूर्वव्यापी प्रभाव देने की आवश्यकता होती है। एक घोषणात्मक क़ानून का कार्य एक चूक की आपूर्ति करना या पिछले क़ानून की

व्याख्या करना है और जब ऐसा कोई अधिनियम पारित किया जाता है, तो यह तब प्रभावी होता है जब पिछला अधिनियम पारित किया गया था। कानून बनाने की विधायी शक्ति में यह घोषित करने की शक्ति शामिल है कि पिछला कानून क्या था और जब ऐसा घोषणात्मक अधिनियम पारित किया जाता है तो इसे हमेशा पूर्वव्यापी माना जाता है। किसी अधिनियम में 'घोषणा' शब्द के उपयोग की अनुपस्थिति से जो स्पष्ट करता है कि पहले कानून क्या था, यह एक घोषणात्मक अधिनियम प्रतीत नही हो सकता है, लेकिन यदि न्यायालय किसी अधिनियम को घोषणात्मक या व्याख्यात्मक पाता है तो इसे पूर्वव्यापी के रूप में माना जाना चाहिए"(पेज 2487)।

द बंगाल इम्युनिटी कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य और अन्य [1955] 2 एससीआर 603, में हेडन का मामला, 3 कंपनी प्रतिनिधि.7 ए; 76 ई.आर. 637 अनुमोदन के साथ उद्धृत किया गया था। उनके आधिपत्य ने कहा है -

"यह 1584 में इंग्लैंड में मजबूती से स्थापित एक कानून के निर्माण का एक अच्छा नियम है जब हेडन के मामले का फैसला किया गया था कि "सामान्य रूप से सभी कानूनों की निश्चित और सही व्याख्या के लिए (चाहे वे दंडात्मक हों या लाभकारी, प्रतिबंधात्मक या आम कानूनों का विस्तार)चार चीजों को समझना और विचार करना हैः

पहला. अधिनियम बनने से पहले सामान्य कानून क्या था?

दूसरा . वह कौन सी क्षति और दोष था जिसके लिए आम कानून में प्रावधान नहीं था?

तीसरा. राष्ट्रमंडल की बीमारी का इलाज संसद ने क्या निकाला और नियुक्त किया है ?

चौथा. उपचार का वास्तविक कारण; और फिर सभी न्यायाधीशों का कार्य हमेशा ऐसा निर्माण करना होता है जो क्षति को दबा सके, और उपचार को आगे बढ़ा सके और

हानि की निरंतरता के लिए सुक्ष्म अविष्कारों और चोरी को दबा सकें, और परो पराइवेटो, कमोडो, और बल और जीवन को इलाज और उपाय में जोड सके, अधिनियम के निर्माताओं के सच्चे इरादे के अनुसार, प्रो बोनो पब्लिक।"

एलाइड मोटर्स, (पी) लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त, दिल्ली, [1997] 3 एस. सी. सी. 472 में, संसद द्वारा अधिनियमित प्रावधान से कुछ अनपेक्षित परिणाम सामने आए। एक स्पष्ट चूक थी। त्रुटि को ठीक करने के लिए, एक संशोधन के माध्यम से एक प्रतिबंध पेश करने की मांग की गई थी। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यदि यह अधिनियम के स्पष्ट उद्देश्य और सकंल्प को पराजित करता है तो शाब्दिक निर्माण से बचा जाना चाहिए। उचित व्याख्या का नियम लागू होना चाहिए,''एक परावधान जो अनपेक्षित परिणामों को दूर करने और प्रावधानो को व्यवहारिक बनाने के लिए डाला गया है, एक प्रतिबंध जो अनुभाग में एक स्पष्ट चूक प्रदान करता है और अनुभाग को उचित व्याख्या देने के लिए अनुभाग में पढ़ा जाना आवश्यक है, उसे संचालन में पूर्वव्यापी माना जाना चाहिए ताकि समग्र अनुभाग को उचित व्याख्या दी जा सके''।

हरियाणा राज्य विधानमंडल का इरादा 5.4.1994 से अयोग्यता लागू करने का था और ऐसा किया गया। जिस व्यक्ति के दो से अधिक जीवित बच्चे हो उसे उसी दिन से नगरपालिका का सदस्य बनने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता था। हालांकि, नयी शुरू की गयी अयोग्यता के संचालन से एक तथ्य-स्थिति को उजागर करते हुए एक अपवाद के माध्यम से एक प्रावधान लागू करते समय प्रारूपता की मूर्खता ने परेशानी पैदा कर दी। परंतुक के पाठ को सरल पठन से एक ऐसा परिणा सामने आया जिसकी विधायिका ने कभी कल्पना नही की थी और ना ही कर सकता था। यह सच है कि दूसरा संशोधन स्पष्ट रूप से संशोधन को पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं देता है। कानून को स्पष्ट रूप से पूर्वव्यापी संचालन देने वाले प्रावधान की अनुपस्थिति इसकी संभावना या

पूर्वव्यापीता का निर्धारण नहीं करती है। यह दिखाने के लिए आंतरिक साक्ष्य उपलब्ध हो सकता है कि संशोधन का उद्देश्य आवश्यक रूप से पूर्वव्यापी प्रभाव डालना था और यदि न्यायालय पूर्वव्यापीता के पक्ष में बिना किसी हिचकिचाहट के निष्कर्ष निकाल सकता है, न्यायालय अधिनियम को वह कायर्वाही देने में संकोच नहीं करेगा जब तक कि कानून में निहित किसी आदेश या कानून की व्याख्या के स्थापित सिद्धांत द्वारा ऐसा करने से रोका जाए।

द्वितीय संशोधन अधिनियम की धारा 2 के पाठ में "बाद " शब्द के स्थान पर ''तक'' शब्द प्रतिस्थापित करने का प्रावधान है। उसमें प्रयुक्त अभिव्यक्ति "प्रतिस्थापित किया जाएगा" का अर्थ और प्रभाव क्या है?

एक पाठ का प्रतिस्थापन दूसरे पूर्व-विद्यमान पाठ के साथ करना विधायी प्रारूपण में नियोजित ज्ञात और अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त प्रथाओं में से एक है। " प्रतिस्थापन' को' अधिक्रमण 'या किसी मौजूदा प्रावधान के मात्र निरसन '' से अलग करना होगा।

किसी प्रावधान के प्रतिस्थापन के परिणामस्वरूप पहले वाला प्रावधान निरस्त हो जाता है और उसके स्थान पर नए प्रावधान को प्रतिस्थापित किया जाता है (वैधानिक व्याख्या के सिद्धांत, आई. बी. आई. डी., पेज .565 में देखें)। यदि उक्त प्रस्ताव के समर्थन में किसी प्राधिकारी की आवश्यकता है, तो वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश शुगर मिल्स एसोसिएशन और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य राज्य [2002] 2 एस. सी. सी. 645, राजस्थान राज्य बनाम मंगीलाल पिंडवाल, [1996] 5 एस. सी. सी. 60, कोटेश्वर विट्ठल कामत बनाम के. रंगप्पा बालिगा एंड कंपनी, [1969] 1 एससीसी 255 और ए.एल.वी.आर.एस.टी. वीरप्पा चेट्टियार बनाम एस. माइकल और अन्य, ए आइ आर (1963) एस. सी. 933 में पाया जायेगा। पश्चिमी यू. पी. शुगर मिल्स एसोसिएशन

और अन्य (सुप्रा) के मामले में न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने माना कि राज्य सरकार ने पुराने नियम के स्थान पर नए नियम को प्रतिस्थापित करके पुराने नियम को जीवित रखने का इरादा कभी नहीं रखा। इस मुद्दे के इर्द-गिर्द केंद्रित परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने माना कि प्रतिस्थापन का प्रभाव केवल पुराने नियम को हटाने और नए नियम को लागू करने तक ही सीमित था। मंगीलाल पिंडवाल (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय ने प्रतिस्थापन द्वारा संशोधन की विधायी प्रथा को बरकरार रखा, जिसका अस्तित्व समाप्त हो गया था और एक ऐसे कानून के पाठ में शामिल किया जिसका अस्तित्व समाप्त हो गया था और यह माना कि प्रतिस्थापन का उस अवधि के दौरान कानून के संचालन में संशोधन करने का प्रभाव होगा जिसमें यह लागू था। कोटेश्वर के मामले (सुपरा) में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने एक नियम के 'अधिक्रमण' और एक नियम के 'प्रतिस्थापन' के बीच के अंतर पर जोर दिया और माना कि प्रतिस्थापन की प्रक्रिया में दो चरण होते हैंः पहला, पुराने नियम का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और इसके स्थान पर नया नियम अस्तित्व में लाया जाता है।

जावेद (सुपरा) में यह माना गया कि चुनाव लड़ने का अधिकार ना तो मौलिक अधिकार है और ना ही सामान्य कानून का अधिकार। यह एक क़ानून द्वारा प्रदत्त अधिकार है। कानून जो चुनाव लड़ने का अधिकार प्रदान करता है, वह वैकल्पिक कार्यालय का पद धारण करने के लिए आवश्यक योग्यता और अयोग्यता भी प्रदान कर सकता है।

धारा 13क की उप-धारा (1) के खंड (ग) द्वारा नगरपालिका के सदस्य का पद रखने के खिलाफ बनायी गयी अयोग्यता की रोक पूर्ण थी। केवल इसलिए कि अयोग्यता कुछ तथ्यों के संदर्भ में लगायी गयी है जो अयोग्यता के अधिनियम से पहले की तारीख के लिए संदर्भित हैं, अधिनियम पूर्वव्यापी नहीं होता है। कोई निहित अधिकार

नहीं छीना गया है। पहला संशोधन कोई पूर्वव्यापीता वाला कानून का टुकडा नहीं था। हालाँकि, विधान मंडल ने सोचा कि यह अधिक उचित होगा यदि अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर पैदा हुए बच्चे के संदर्भ में अयोग्यता लागू नहीं की जाती है। एक वर्ष की अवधि गर्भधारण की अवधि को ध्यान में रखते हुए नियुक्त की गई थी जो 280 दिन है जैसा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 112 में शामिल किया गया था और इसमें 85 दिनों का थोडा और अंतर जोडा गया था। प्रारूपरण् में त्रुटि के उपरांत इस अर्थ को परंतुक बताता है। यहां तक की अगर कोइ संशोधन नहीं हुआ होता (जैसा कि दूसरा संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किया गया था) तो पूर्व का परावधान अगर न्यायिक जांच के अधीन होता, तो इसकी व्याख्या की जाती और 'बाद' शब्द को 'तक' के रूप में पढ़ा जाता, ताकि विधायी इरादे को पूरा किया जा सके और ड्राफ्ट्समैन की मूर्खता का फायदा ना उठाया जा सके। या, यदि प्रावधान को पढ़ा नहीं गया होता तो इसे अमान्य घोषित कर दिया जाता और उसे मनमाना और भेदभावपूर्ण मानकर खारिज कर दिया जाता क्योंकि अधिनियम के अधिनियमन की तारीख को और उसके एक वर्ष के भीतर जिन व्यक्तियो के दो से अधिक जीवित बच्चे थे और जिन व्यक्तियो के दो से अधिक जीवित बच्चे थे एक वर्ष की तारीख के बाद दो वर्गों का गठन नहीं कर सकते थे जाे एक अच्छी तरह से परिभाषित मानदंड पर प्रतिष्ठित होने मे सक्षम हो ताकि विधायिका द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य को पूरा किया जा सके। हालाँकि, विधायिका को अपने ड्राफ्ट्समैन की गलती का एहसास हुआ और उसने गलत शब्द ''बाद '' को सही शब्द '' तक '' से बदलकर कदम उठाया, जो कि शुरूआत से ही होना चाहिए था। हमारी राय में दूसरा संशोधन प्रकृति में घोषणात्मक है। यह प्रथम संशोधन के पाठ को इस तरह से बदलता है कि उसमें से स्पष्ट बेतुकापन दूर हो जाये और इसे विधायिका द्वारा वास्तव में प्रदान करने के इरादे के अनुरूप लाया जा सके। यह स्पष्ट त्रुटि को स्पष्ट करता है और

दूर करता है और स्पष्ट करता है कि कानून हमेशा से क्या था और क्या रहेगा। दूसरा संशोधन प्रथम संशोधन की तारीख से पूर्वव्यापी रूप से काम करेगा और इस तरह के संचालन में किसी भी कानून या सिद्धांत के आदेश का उल्लंघन नहीं किया जाता है। अन्यथा, जिस बुराई पर अंकुश लगाने की मांग की गई थी, वह विधायी मंशा के विपरीत कुछ अवधि तक मौजूद रहेगी। पूर्वव्यापीता के विरूद्घ नियम को अनुप्रयाग द्वितीय संशोधित अधिनियम में लागू नही होगा।

जावेद (सुपरा) में न्यायालय को यह इंगित करने में कठिनाई हुई है कि भारत की जनसंख्या में वृद्धि किस प्रकार चिंताजनक है और इसे रोकने के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है।

उत्तर कानून के माध्यम से भी हतोत्साहित करके जनसंख्या वृद्धि को रोकना राष्ट्रीय हित में था। प्रथम संशोधन अधिनियम बुराई को लक्षित करता है और इसे ठीक करने का प्रयास करना चाहता है। राज्य की विधायी क्षमता विवादित नहीं है। इस प्रकार, क़ानून के सामान्य दायरे और कार्यक्षेत्र को ध्यान में रखते हुए, लागू किये जाने वाले उपाय, कानून की पूर्व स्थिति, विधायी इरादे और अभिव्यक्ति का प्रयोग '' के बाद'' 'शब्द' के लिए 'तक' शब्द दूसरे संशोधन के पाठ में'' प्रतिस्थापित होगा, हमारे मन में कोई संदेह नहीं है कि दूसरा संशोधन का प्रभाव पहले संशोधन के पाठ में संशोधन के रूप में पहले संशोधन की तारीख से, यानी 5 अप्रैल, 1994 से है ।

हमारा मानना है कि सुनील कुमार राणा के मामले का फैसला सही हुआ है। इसमें किसी भी पुनर्विचार की आवश्यकता नहीं है। अपील में कोइ दम नही है और इसे खारिज कर दिया जाता है। उच्च न्यायालय के निर्णय को बनाए रखा जाता है।

एन.जे.

याचिका खारिज कर दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी रोमा भाटिया (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।